फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ जिला राजसमन्द

पत्रावली संख्या 62/2022 प्रार्थना पत्र धारा 251 ए

भंवरलाल वगै.बनाम मांगीया वगैराह

दिनांक	आदेशिका	हस्ताक्षर/सूचना
25/7/24	पत्रावली पेश हुई ।अधिवक्ता पपक्षकारान् उपस्थित है । अधिवक्ता पक्षकारान् की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को सिद्व नही कराया गया है व विपक्षी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता द्वारा भी ऐसा कोई साक्ष्य सबूत पेश नही किया है जिससे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य हो , मात्र प्रार्थना पत्र की कॉलमो को स्वीकार किया है । प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अन्त मे निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी संख्या 8 को आदेश प्रदान करावे कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 15 अनुसार राजस्व नक्शे मे पूर्व अनुसार अंकन कराये जाने का आदेश प्रदान करावे । प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 15 मे अंकित है कि प्रार्थना पत्र निश्चित न्याय शुल्क पर आप न्यायालय मे प्रस्तुत है जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने अस्वीकार कर खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ़ जिला–राजसमन्द (राज.)	उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ़ जिला